बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः- भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित मदों के अनुमोदन हेतु विभागीय अनुसूचित दर समिति के गठन के संबंध में।

1. पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-5762(एस) दिनांक-05.06.2006 के कंडिका-2 (iii) एवं 2(iv)के अनुसार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-103 को संशोधन करते हुए विभागीय अनुसूचित दर के निर्धारण हेतु वर्त्तमान प्रावधान निम्नवत है:-

(iii) "कंडिका 103 में प्रावधान है कि तकनीकी परीक्षण कोषांग (मंत्रिमंडल निगरानी विभाग) द्वारा अनुसूचित दर के निर्धारण के लिए दर विश्लेषण एवं सामग्रियों का दर निर्धारित किया जायेगा। निर्माण सामग्रियों की दरों में बार-बार बढ़ोत्तरी के अनुरूप अनुसूचित दर के विश्लेषण तथा सामग्रियों के दर का निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इसी के क्रम में यह प्रावधान किया जाता है कि पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया जायेगा, जबकि अन्य विभागों में इनसे संबंधित भारत सरकार के कार्य विभागों मे प्रचलित विशिष्टियाँ या दर विश्लेषण के आधार पर किया जायेगा।"

(iv) "कंडिका 103ए में प्रावधान है कि नानसिड्यूल मदों के लिए भी दर का निर्धारण तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा किया जायेगा। इसे संशोधित करते हुए पथ निर्माण विभाग के संयोजन से गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति द्वारा ही इसे किया जाने का प्रावधान किया जाता है।"

2. इस क्रम में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत काफी संख्या में गैर अनुसूचित मद सन्निहित होते हैं, इन गैर अनुसूचित मदों के दरों का अनुमोदन विभिन्न अंचल स्तर पर किया जाता है। इस कारण एक ही मद के दर में काफी विभिन्नता पायी जाती है तथा कभी-कभी अनेकों गैर अनुसूचित मदों के दर अनुमोदन में काफी समय लग जाता है। इस कारण योजना के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब होता है। अंचल द्वारा अनुमोदित दर को पथ निर्माण विभाग के राज्यस्तरीय अनुसूचित दर समिति से अनुमोदन कराने में भी काफी समय लगता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख के अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति गठन करने का प्रस्ताव है। उक्त समिति में विभाग के मुख्य अभियंता(निरूपण), मुख्य अभियंता (पटना), मुख्य अभियंता(दक्षिण), मुख्य अभियंता (उत्तर) एवं मुख्य अभियंता (विद्युत) सदस्य होंगे। इस समिति का नाम विभागीय दर निर्धारण समिति होगा तथा यह समिति भवन निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित दरों का अनुमोदन प्रदान करेगी। समिति द्वारा उक्त अनुमोदित दर पर विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। समिति द्वारा अनुमोदित दर एवं दर-विश्लेषण को अनुसूचित दर में सम्मिलित करने हेतु राज्यस्तरीय दर निर्धारण समिति को अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समर्पित किया जायेगा ताकि उसे अनुसूचित दर की पुस्तिका में सम्मिलित किया जा सके। भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन तब तक होता रहेगा जबतक राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

पथ निर्माण विभाग की SOR समिति द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन/मार्केट सर्वे/सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा तय किए गए दर/आपूर्त्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए कोटेशन जो अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुमोदित है, के आधार पर दर का निर्धारण किया जाता है।

पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत गठित SOR समिति द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही भवन निर्माण विभाग की समिति अनुसूचित दर का निर्धारण सकेगा एवं PWD कोड के मुताबिक निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को दिया जाएगा।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 19.12.2017 की बैठक में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-52/2017...236 (अ) पटना, दिनांक 9.1.18

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी एवं सीडी0 के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प (संलग्न परिशिष्ट सहित) की जाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-52/2017...236 (अ) पटना, दिनांक 9.1.18

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-52/2017...236 (अ) पटना, दिनांक 9.1.18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख- सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/मा0 मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख- सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता विद्युत (सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-52/2017...236 (अ) पटना, दिनांक:- 9.1.18

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

पत्रांक-भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-52/2017...1236 (ल)

सरकार

भवन निर्माण विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः- 9.1.18

विषयः- भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित मदों के अनुमोदन हेतु विभागीय अनुसूचित दर समिति के गठन के संबंध में।

1. पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-5762(एस) दिनांक-05.06.2006 के कंडिका-2 (iii) एवं 2(iv)के अनुसार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-103 को संशोधन करते हुए विभागीय अनुसूचित दर के निर्धारण हेतु वर्त्तमान प्रावधान निम्नवत है:-

(iii) "कंडिका 103 में प्रावधान है कि तकनीकी परीक्षण कोषांग (मंत्रिमंडल निगरानी विभाग) द्वारा अनुसूचित दर के निर्धारण के लिए दर विश्लेषण एवं सामग्रियों का दर निर्धारित किया जायेगा। निर्माण सामग्रियों की दरों में बार-बार बढ़ोत्तरी के अनुरूप अनुसूचित दर के विश्लेषण तथा सामग्रियों के दर का निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इसी के क्रम में यह प्रावधान किया जाता है कि पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया जायेगा, जबकि अन्य विभागों में इनसे संबंधित भारत सरकार के कार्य विभागों मे प्रचलित विशिष्टियाँ या दर विश्लेषण के आधार पर किया जायेगा।"

(iv) "कंडिका 103ए में प्रावधान है कि नानसिड्यूल मदों के लिए भी दर का निर्धारण तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा किया जायेगा। इसे संशोधित करते हुए पथ निर्माण विभाग के संयोजन से गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति द्वारा ही इसे किया जाने का प्रावधान किया जाता है।"

इस क्रम में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत काफी संख्या में गैर अनुसूचित मद सन्निहित होते हैं, इन गैर अनुसूचित मदों के दरों का अनुमोदन विभिन्न अंचल स्तर पर किया जाता है। इस कारण एक ही मद के दर में काफी विभिन्नता पायी जाती है तथा कभी-कभी अनेकों गैर अनुसूचित मदों के दर अनुमोदन में काफी समय लग जाता है। इस कारण योजना के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब होता है। अंचल द्वारा अनुमोदित दर को पथ निर्माण विभाग के राज्यस्तरीय अनुसूचित दर समिति से अनुमोदन कराने में भी काफी समय लगता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख के अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति गठन करने का प्रस्ताव है। उक्त समिति में विभाग के मुख्य अभियंता(निरूपण), मुख्य अभियंता (पटना), मुख्य अभियंता(दक्षिण), मुख्य अभियंता (उत्तर) एवं मुख्य अभियंता (विद्युत) सदस्य होंगे। इस समिति का नाम विभागीय दर निर्धारण समिति होगा तथा यह समिति भवन निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित दरों का अनुमोदन प्रदान करेगी। समिति द्वारा उक्त अनुमोदित दर पर विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। समिति द्वारा अनुमोदित दर एवं दर-विश्लेषण को अनुसूचित दर में सम्मिलित करने हेतु राज्यस्तरीय दर निर्धारण समिति को अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समर्पित किया जायेगा ताकि उसे अनुसूचित दर की पुस्तिका में सम्मिलित किया जा सके। भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन तब तक होता रहेगा जबतक राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

पथ निर्माण विभाग की SOR समिति द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन/मार्केट सर्वे/सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा तय किए गए दर/आपूर्त्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए कोटेशन जो अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुमोदित है, के आधार पर दर का निर्धारण किया जाता है।

पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत गठित SOR समिति द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही भवन निर्माण विभाग की समिति अनुसूचित दर का निर्धारण कर सकेगा एवं PWD कोड के मुताबिक निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को दिया जाएगा।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-19.12.2017 की बैठक में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/1/18

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव

8/1/18